में नहीं आता है । अवर श्रेणी लिपिक के पद की नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की जाती है तथा अपेक्षित न्यूनतम योग्यता टाइपिंग में दक्षता सहित सीनियर सर्टिफिकेट स्कूल (एस० एस० सी०) अथवा इसके समकक्ष है । किन्तु, श्रेणी–4 कर्मचारी चाहे मंत्रालयीय हों और चाहे तकनीकी दोनों ही जिन्होंने एस० एस० सी० परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास करली है तथा जिन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष सेवा कर ली है, अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं बशर्ते कि उनकी गोपनीय रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हों और उच्च पद पर नियुक्ति के बाद i वर्ष के अन्दर 3 अवसरों में निर्धारित टाइपिंग परीक्षा पास करलें। तकनीकी प्रकृति के–श्रेणी–4 के पदों से उसी संवर्ग के श्रेणी–3 के तकनीकी पदों में पदोन्नति के मामले में ऐसे गैर–मैट्रिकुलेट श्रेणी–4 के तकनीकी कर्मचारी जिन्होने या तो श्रेणी–3 के पदों में दोन्नति के लिए स्वयं को अर्ह बनाने हेतु योगयता परीक्षा उत्तीर्ण करली हो अथवा जहां तक केवल हिन्दी ज्ञान का संबंध है, उन्होंने एस०एस०सी० मैट्रीकुलेशन के बराबर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी हिन्दी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाता है.। केवल ऐसे मामलों में एस० एस० सी० की न्यूनतम योग्यता संबंधी शर्त्त पर जोर नहीं दिया जाता है । भर्ती पदोन्नति संबंधी यह नीति जो खादी ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) में नियमित रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू है, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभागीय रूप से चलाये जा रहे खादी/ ग्रामोद्योग भवनों पर भी 1–1–1973 से लागू होती है ।

(ख) और (ग). राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राय: केन्द्रीय सरकार की समान श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त वेतनमानों को स्वीकार किया है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने "वर्गीकरण और भर्ती विनियम" तथा पदोन्नति नीति बनाई है जो प्राय : सरकारी पद्धति और क्रम पर आधारित है ।

Passing of Hindi test for promotion

2934. SHRI D. S. A. SIVAPRAKASAM: Will the Miinster of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a must for Government servants in various departments to pass Hindi test for promotion; and

(b) if so, the details of the instructions issued on the points such as passing of the test?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SC/ST employees in Public Undertakings

2935. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total number of employees category-wise in each of the undertakings under the control of his Ministry;

(b) the number of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe employees out of them category-wise in different undertakings;

(c) whether orders for reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been issued to each of the undertakings both for initial appointment and promotion; and

(d) whether the quota reserved for SC/ ST has been completed and if not what steps are being taken to fill the quota at